तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बुद्दा राम बनाम उपखण्ड अधिकारी,जमवारामगढ** **प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/429**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील वर्ष 2023 से ही रेस्पो. की तलबी के स्तर पर ही विचाराधीन चल रही है एवं अपीलांट की ओर से रेस्पो. के तलबी नोटिस पेश नही किये जा रहे है एवं उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अपील को आगे चलाये जाने में रुची नही होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने के कारण अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। तहत रिकार्ड लौटाया जावें। आदेश सुनाया गया। (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	